पूर्वोत्तर रेलवे

कार्यालय
महाप्रबंधक / कार्मिक
गोरखपुर

अधिसूचना

दिनांक 13.01.2026

का/254/12/लिपिकीय/VIII/13.33%(LDCE)

1. सभी विभागाध्यक्ष, सचिव/ महाप्रबंधक,सचिव/सभी प्रमुख विभागाध्यक्ष, गोरखपुर।
2. महाप्रबंधक /सतर्कता /गोरखपुर। 3. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण /गोरखपुर।
4. मुख्य कारखाना प्रबंधक / यांत्रिक कारखाना, पुल कारखाना,सिग०कार०/गोरखपुर , गोरखपुर छावनी ।
5. सांख्यकीय अधिकारी, गोरखपुर।
6. चिकित्सा निदेशक /ल०ना०मि०रेलवे चिकित्सालय , गोरखपुर।
7. उप मुख्य स्वास्थ्य निदेशक /सैनिटेशन / ल०ना०मि०रेलवे चिकित्सालय , गोरखपुर।
8. उप मुख्य इंजीनियर/गो०क्षे०। 9. उप मुसाप्र डिपो/गोरखपुर।
10. उप मुविई/कालोनी, गोरखपुर। 11. अध्यक्ष/आर.आर.सी /गोरखपुर।
12. प्रधानाचार्य /सी0से0स्कूल /बालक इन्टर कॉलेज /बालिका इन्टर कॉलेज , गोरखपुर।
13. पुस्तकालय सहायक /केन्द्रीय ग्रंथालय, गोरखपुर। 14. सचिव/रेलवे भर्ती बोर्ड /गोरखपुर।
15. वकाधि /निर्माण/सिग्नल कार0 /गोरखपुर। 16. कारखाना कार्मिक अधिकारी /यांत्रिक कार0 गोरखपुर
17. सकाधि /डिपो /प्रेस /गो0क्षे0/कालोनी/पुल कारखाना /गोरखपुर।
18. सचिव /प्रमुकाधि एवं मुकाधि /प्रशासन सेल , गोरखपुर।
19. उपमुकाधि/ मुख्यालय/राजपत्रित /आई.आर , गोरखपुर। 20. जेनिटर, प्रमुकाधि कार्यालय /गोरखपुर।
21. सभी मुकार्याधि /कार्याधि , प्रमुकाधि/कार्यालय , गोरखपुर

विषय :- वरिष्ठ लिपिक,लेवल-5 में 13.33%LDCE कोटे की रिक्तियों को चयन के माध्यम से भरने के सम्बन्ध में।

****

1. सक्षम अधिकारी द्वारा पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर मुख्यालय के अधीन विभिन्न विभागों (लेखा एवं RPF विभाग को छोड़कर) के वरिष्ठ लिपिक,लेवल-5 (ग्रेड पे 2800) श्रेणी के अंतर्गत 13.33 प्रतिशत LDCE कोटा की रिक्तियो को भरने हेतु विभिन्न विभागों द्वारा पूर्व में जारी अधिसूचना को निरस्त करते हुए RBE 78/2019 के तहत कुल निम्नांकित रिक्तियों -37 (अनारक्षित -24 ,अजा-07 ,अजजा -06) को चयन प्रक्रिया के माध्यम से भरने हेतु संयुक्त रूप से अधिसूचना जारी करने का निर्णय लिया गया है:-

क्रम सं	विभाग	रिक्तियों की संख्या	समुदायवार रिक्तियों की संख्या			PwBD (including)
			UR	SC	ST	
1.	भण्डार विभाग	08	06	01	01	(1)
2.	डिपो	00	00	00	00	(0)
3.	यांत्रिक विभाग	03	02	00	01	(1)
4.	यांत्रिक कारखाना	00	00	00	00	(0)

13.01.2026 क्रमशः 02 ......

5.	सिविल इंजी०	09	07	01	01	(1)
6.	विद्युत् विभाग	02	01	01	00	(1)
7.	प्रबंध विभाग	00	00	00	00	(0)
8.	कार्मिक विभाग	07	02	03	02	(1)
9.	सिग्नल एवं दूर संचार	02	02	00	00	(1)
10.	वाणिज्य	02	00	01	01	(1)
11.	परिचालन	03	03	00	00	(1)
12.	मेडिकल	01	01	00	00	(1)
	योग	37	24	07	06	(09)
नोटः- PwBD की रिक्तियां नियमानुसार horizontal हैं।						

उपर्युक्त रिक्तियों में PwBD कोटे की रिक्ति रेलवे बोर्ड के पत्र सं . E(NG)II/2017/RC-2/1 Policy दिनांक 27.02.2019 के अनुसार विधिक्षित रोस्टर के अनुकूल तय की जाएगी।

2. पात्रता की शर्तें :-

इस चयन में सम्मिलित होने के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अर्हता रखने वाले उन नियमित अवर लिपिक श्रेणी के कर्मचारियों से संलग्न प्रोफोर्मा पर आवेदन आमंत्रित किया जा रहा है , जिन्होंने टंकण गति परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो अथवा टंकण गति परीक्षा से छूट प्राप्त हो तथा अवर लिपिक सह टंकक लेवल-02 के पद पर अधिसूचना जारी किये जाने की तिथि तक (जो की कट-ऑफ तिथि है) कुल 02 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर ली हो।

इस चयन में गोरखपुर मुख्यालय में स्थित विभिन्न विभागों /मंडलेतर इकाइयों (लेखा एवं RPF विभाग को छोड़कर) में कार्यरत लिपिकीय श्रेणी के उपरोक्त पात्रता वाले कर्मचारी ही आवेदन देने हेतु पात्र हैं। मंडलों में लियन /वरीयता वाले कर्मचारी इस चयन हेतु आवेदन करने के लिए पात्र नहीं हैं।

3. पाठ्यक्रमः-

उपर्युक्त चयन हेतु पाठ्यक्रम संलग्न है।

4. चयन की प्रक्रियाः-

1. उपरोक्त चयन की लिखित परीक्षा रेलवे बोर्ड के आर0बी0ई0 संख्या 05/2024 के अनुसार कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी)/टैबलेट आधारित परीक्षा (टीबीटी) के माध्यम से सम्पन्न करायी जाएगी, जिसमें कोई भौतिक प्रश्नपत्र नहीं होगा। सभी प्रश्न कंप्यूटर/टैबलेट पर बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे और कर्मचारी को प्रश्न के उत्तर कंप्यूटर/टैबलेट पर ही अंकित करने होंगे।

क्रमशः03 ......

13.01.2026

2. लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्र हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओँ में होगा |
3. रेलवे बोर्ड के पत्र सं० ई (एन.जी.)।-2003/ सी .एफ.पी./2 दिनांक 22.09.2003 के अनुसार चयन लिखित परीक्षा एवं सेवा रिकार्ड के आधार पर होगा , जिसमें 85 अंक लिखित परीक्षा तथा 15 अंक सेवा अभिलेख के होंगे। प्रश्नपत्र में पूछे जाने वाले 100 अंक को 85 अंक में परिवर्तित किया जाएगा |
4. लिखित परीक्षा में अर्हक अंक 60% हैं। हालाँकि, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी मौजूदा नियमों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्तियों में 10% की छूट के पात्र हैं
5. RBE No. 196/2018 एवं महाप्रबंधक कार्मिक पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर के पत्र सं का/254/चयन /प्रश्न बैंक/निर्देश /4 /80 दिनांक 20.03.2019 के अनुसार लिखित परीक्षा में 100 अंकों का बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ 120 मिनट का प्रश्न पत्र होगा | कुल 110 प्रश्न होंगे, जिसमे से 10 प्रश्न राजभाषा नीति के होंगे जो वैकल्पिक होंगे तथा अभ्यर्थियों को कुल 110 प्रश्न में किन्हीं 100 प्रश्नों का उत्तर देना होगा| प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंकों की कटौती की जाएगी | उपरोक्त चयन की कोई अनुपस्थिति लिखित परीक्षा नहीं होगी |
6. कुल रिक्तियों की संख्या के बराबर सफल अभ्यर्थियो का मेरिट के आधार पर नामिका तैयार की जाएगी| यद्यपि सफल अभ्यर्थियो को उनके सम्बंधित विभाग /यूनिट में पहले से आंकी गयी रिक्तियों की संख्या के अनुरूप नहीं हैं, तो उन्हें अन्यत्र पदस्थापित किया जा सकता है |
7. अधूरे एवं त्रुटीपूर्ण तथा सम्बंधित नियंत्रक राजपत्रित अधिकारी से बिना अग्रसारित आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा ।
8. कर्मचारी इसे लिखित परीक्षा की तैयारी की सूचना समझें। कभी भी अल्प समय की सूचना पर लिखित परीक्षा सम्पन्न करायी जा सकती है।
9. आईआरईएम का कोई अन्य प्रावधान या रेलवे बोर्ड दवारा जारी सर्कुलर कैडर पद पर चयन के नियम और अन्य शर्तों के सम्बन्ध में हालांकि इस अधिसूचना में अनजाने में छोड़े गए हैं उन्हें वैध और सक्रिय माना जाना चाहिए।
10. इस अधिसूचना में किसी भी प्रकार की त्रुटि, चूक अथवा संशोधन की आवश्यकता होने की स्थिति में, प्रशासन को शुद्धिपत्र (Corrigendum) जारी करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा, जो इस अधिसूचना का अभिन्न अंग माना जाएगा तथा सभी संबंधितों पर मान्य एवं बाध्यकारी होगा।

5. कर्मचारियों को सूचित कराना :-

1. सभी इच्छुक एवं पात्र उम्मीदवार अपनी शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी प्रमाण पत्रों की स्वयं सत्यापित छायाप्रति संलग्न करके नियत तिथि को या उससे पूर्व आवेदन प्रस्तुत करें |

क्रमशः 04 ....

13.01.2026

2. नियंत्रक अधिकारी /पर्यवेक्षक अपने अधीनस्थ उपरोक्त पात्रता वाले कर्मचारियों को इस अधिसूचना को नोट कराना एवं इसका व्यापक प्रचार-प्रसार कराना सुनिश्चित करें। आवेदन पत्र अपने नियंत्रक अधिकारी /पर्यवेक्षक को जमा करने की अंतिम तिथि 27.01.2026 होगी।
नियंत्रक अधिकारी / पर्यवेक्षक द्वारा आवेदन पत्र कार्मिक विभाग को भेजने की अंतिम तिथि 02.02.2026 होगी।
3. सम्बंधित नियंत्रक अधिकारी कृपया जो कर्मचारी प्रतिनियुक्ति / प्रशिक्षण / अन्य यूनिटों एवं मंडलों में स्थानांतरण पर हैं अथवा अवकाश पर हों या ड्यूटी से बाहर गए हों ,लेकिन उनका लियन /वरीयता मुख्यालय में हैं, उन्हें विशेष सन्देश वाहक के माध्यम से सूचना भिजवाई जाए तथा उनसे इस अधिसूचना को नोट कराया जाए। इस अधिसूचना का व्यापक प्रचार –प्रसार किया जाए।
4. सम्बंधित नियंत्रक कार्मिक अधिकारी कृपया सम्बंधित सभी कर्मचारियों की पात्रता की जाँच करते हुए इनके आवेदन पत्र को निर्धारित समय सीमा के भीतर इस कार्यालय को अग्रसारित करें ताकि अग्रिम आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

अंतिम तिथि के बाद आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।

6. **किसी भी अद्यतन के लिए नियमित रूप से देखी जाने वाली वेबसाइटः-**

https://ner.indianrailways.gov.in/

उपरोक्त पर सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त है।

संलग्नक -आवेदन पत्र का प्रोफोर्मा एवं पाठ्यक्रम।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

01. महामंत्री , एन ई रेलवे मेंस कांग्रेस, पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर ।
02. महामंत्री एस.सी. / एस.टी. / ओबीसी ,एसोसिएशन पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर ।
03. मुख्य कार्याधी/ गोपनीय,MPP सेल ,CBT सेल / प्रमुकाधि कार्यालय गोरखपुर।
04. सूचनापट्ट एवं अन्य प्रति ।
05. वेबसाइट प्रति (https://ner.indianrailways.gov.in/)।

13.01.2026

सकाधि/मुख्या०

कृते महाप्रबंधक / कार्मिक

आवेदन का प्रारूप

रंगीन फोटो प्रमाणित

गोरखपुर मुख्यालय के अधीन विभिन्न विभागों (लेखा,RPF विभाग को छोड़कर) 13.1/3% कोटे (LDCE) के अंतर्गत वरिष्ठ लिपिक, लेवल-05 (ग्रेड पे 2800) पद के रिक्तियों को भरने हेतु आवेदन पत्र |

1. नाम सर्वश्री/श्रीमती/कुमारी)..
2. पिता/पति का नाम..
3. समुदाय/जाति का नाम (सामान्य/अजा/अजजा)..
4. विभाग (लियन)..
5. वरीयता मुख्यालय / गोरखपुर के किस विभाग में है..
6. स्वयं के अनुरोध पर वर्तमान इकाई में स्थानान्तरण का विवरण / तिथि ....
7. पारस्परिक स्थानातंरण पर वर्तमान इकाई में स्थानान्तरण का विवरण / तिथि..
8.वर्तमान विभाग में कार्यरत ....
9. अवर लिपिक के पद पर नियुक्ति/पदोन्नति तिथि..
10. दो वर्ष की नियमित रेल सेवा पूर्ण करने की तिथि ....
11. जन्म तिथि..
12. पदनाम एवं लेवल..
13. भविष्य निधि संख्या..
14. कर्मचारी/एनपीएस/पी.एफ नंबर ....
15. शैक्षणिक योग्यता (प्रमाण पत्र संलग्न)..
16. दिव्यान्गाता प्रमाण पत्र (PwBD)(प्रमाण पत्र संलग्न) ....
17. मोबाइल संख्या..
18. HRMS ID..........................19. AADHAR NO..
20. Email ID..
21. Type Test Passed/Fail..

मैं प्रमाणित करता हूँ /करती हूँ कि उपरोक्त दी गयी सूचना / जानकारी सत्य है ।यदि इसमें कोई असत्यता पायी जाती है तो मेरा / मेरे) आवेदन को निरस्त कर दिया जाये |

प्रार्थी

दिनांक- ( )

स्थान-

नाम-

पदनाम-

कार्यालय –

नियंत्रक अधिकारी द्वारा अग्रसारित

(अधिकारी का मुहर)

1505985/2025/O/o SPO/HQ/HQ/NER

13.1/3%एलडीसीई कोटा के तहत वरिष्ठ लिपिक (लेवल–5) के पद पर चयन के लिए पाठ्यक्रम

1	रेलवे बोर्ड, जोनल रेलवे, मण्डल/इकाई स्तरों पर रेल मंत्रालय की संगठात्मक संरचना।
2	कार्यालय की प्रक्रिया (क) डाक और प्राप्तियों (रसीद) का प्रबंधन (ख) फाइल प्रबंधन (ग) अभिलेख प्रबंधन, जिसमें अभिलेख संरक्षण अनुसूची भी शामिल है। (घ) दस्तावेजों का वर्गीकरण और गोपनीय दस्तावेजों का प्रबंधन। (ङ) वीआईपी, एमपी, एमएलए और सीए–III संन्दर्भो का निपटान।
3	संचार के रूप (क) पत्र लेखन/कार्यालय लेखन (ख) अधिसूचनाएँ (ग) फाइलों पर टिप्पणियाँ लिखना
4	कार्य योजना में कार्यो का आवंटन ।
5	भण्डार खरीद की प्रकिया (GeM के माध्यम से भी)
6	वैधानिक लेखा परीक्षा/लेखा निरीक्षण नोटिस ड्राफ्ट पैरा
7	वित्तीय औचित्य के मानक
8	रेलवे आवास (रेलवे आवास आवंटन) नीति
9	अनुशासन एवं अपील नियम तथा आचरण नियम
10	रेलवे कर्मचारियों के लिए चिकित्सा जॉच और चिकित्सा सुविधांए उपलब्ध है।
11	मानव शक्ति नियोजन– रिक्ति बैक, पदों का सृजन, बेंचमार्किंग, अतिरिक्त पद, सरप्लस कर्मचारियों की पुनर्नियोजन, पदों का पुनर्वितरण एवं प्रशिक्षण ।
12	भर्ती, चयन और उपयुक्ता, वरिष्ठता, एमएसीपी का लाभ और एपीएआर का अनुदान
13	वेतन एवं भत्ते
14	पास नियम
15	छुट्टी नियम
16	रेलवे पेंशन नियम (ओपीएस, एनपीएस तथा यूपीएस)
17	रेलवे कर्मचारी (कार्य के घण्टे एवं विश्राम अवधि) नियम–2005
18	कर्मचारी लाभ निधि
19	मॉडल एमएसओपी (शक्तियों की मॉडल अनुसूची)
20	सूचना का अधिकार अधिनियम–2005
21	राजभाषा नीति, अधिनियम एवं नियम
22	ट्रेड यूनियन/एसोसिएशनों को मान्यता ओर सुविधाएं
23	सीपीग्राम, एचआरएमएस, ई–आफिस और यूएमआईडी

नोट :– 1) प्रश्न पत्र में पूछे गए प्रश्न सामान्तः विभिन्न विषयों के सम्बन्ध में अभ्यर्थियों की समझ का आकलन करने के लिए होगे, जिन्हे कर्मचारियों को जानना आवश्यक है।

2) कुल अंकों का 10% अंक राजभाषा नीति, अधिनियम और नियमों से होगा, जो वैकल्पिक होगा।

****

Scanned with OKEN Scanner

SYLLABUS FOR SELECTION TO THE POST OF SENIOR CLERK IN LEVEL-5 AGAINST 13 1/3% LDCE QUOTA

1	Organizational Structure of Ministry of Railways at Railway Board, Zonal Railway, Divisional/Unit levels.
2	Office Procedure (a) Management of DAK and Receipts. (b) File Management (c) Records Management including records retention Schedule. (d) Classification of documents and handling of classified documents. (e) Dealing of VIP, MP, MLA and CA-III references.
3	Forms of communications a) Letter DO writing b) Notifications c) Writing Noting on files.
4	Award of Works in Works Programme.
5	Procedure for Stores Procurement (including through GeM).
6	Statutory Audit/Accounts Inspection Notes, Draft Paras.
7	Standards of financial propriety.
8	Railway Housing(Railway Quarters allotment)Policy.
9	Discipline & Appeal Rules and conduct rules.
10	Medical examination and Medical facilities available to Railway employees.
11	Man Power Planning – Vacancy Bank, Creation of Posts, Benchmarking, Supernumerary Posts, redeployment of surplus staff, redistribution of posts& Training.
12	Recruitment, Selection & Suitability, Seniority, grant of MACPs benefit and APAR
13	Pay and Allowances.
14	Pass rules.
15	Leave rules.
16	Railway Pension Rules (OPS, NPS& UPS).
17	Railway Servants (Hours of Work&Period of rest) Rules, 2005.
18	Staff Benefit Fund
19	Model Schedule of Powers.
20	Right to Information Act 2005
21	Official Language Policy, Act and rules.
22	Recognition and facilities to Trade Union/Associations
23	CPGRAM, HRMS, E-office, UMID

Note-1: ***Questions set in the paper will be normally to assess the understanding of the candidates w.r.t. various topics as above which various ministerial staff are required to know.***

Note-2 : ***10% of the total marks will be from Official Language Policy, Act and rules which will be optional.***

****

Scanned with OKEN Scanner